न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 23/2017 दर्ज तिथि :– 16.03.2017

1. श्री बापुलाल पिता छगनलाल जाति गाडरी व्यस्क, निवासी मांगरोल तहसील, निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।
2. मु. सुमित्राबाई पुत्री छगनलाल जाति गाडरी व्यस्क, निवासी मांगरोल तहसील, निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।
3. मु. गुट्टुबाई पत्नि छगनलाल जाति गाडरी व्यस्क, निवासी मांगरोल तहसील, निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।

.................प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा तहसील, निम्बाहेडा जिला–चित्तौड़गढ़

..................अप्रार्थी

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः–श्री बाबुलाल पाटीदार
अप्रार्थीः– पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधि0–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथि :– 21.07.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है ग्राम मांगरोल, पटवार हल्का, मांगरोल तहसील, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ में नवीन खाता संख्या 406 की आ.नं. 122 शा.नं. रकबा 0.78 हैक्टेयर स्थित है जिसके पुराने आराजी नं. 2369/1100 मीन रकबा 5 बीघा है।
2. यह कि वादीगण की उक्त वर्तमान आराजी नं. 122 के पास ही सरकारी चट्टान के रूप में दर्ज आ.नं. 121 रकबा 0.01 हैक्टेयर स्थित है। तथा प्रार्थीगण की आराजी नं. 122 के पश्चिमी मेड या उत्तरी मेड की तरफ [illegible] नक्शा ट्रेस में कभी भी रास्ते के लिये कोई सीमाचिन्ह राजस्व नक्शा ट्रेस में द[illegible] नहीं [illegible] तथा पुराने सेटलमेन्ट में भी आ. नं. 122 जिसके पुराने आ.नं. 2369/1100 मीन है [illegible] के पश्चिमी या उत्तरी मेड पर कोई निशान रास्ते के बाबत चि[illegible] है फिर [illegible] ही में नवीन सेटलमेन्ट के अधिकारियों व कर्मचारियों [illegible] आराजी नं. 122 की पश्चि[illegible] व उत्तरी मेड पर रास्ते के संबंध में निशान चिन्हित कर दिये है, जबकि मौके पर सरकारी रास्ता नहीं है, बल्कि हम प्रार्थीगण द्वारा अपनी निजी आ.नं. 122 में आने जाने के लिये निजी रास्ता बना रखा हैं, जिससे केलव हम प्रार्थीगण अपनी अपनी आराजी पर आते जाते हैं, जो निजी रास्ता हैं, इसलिये प्रार्थीगण उक्त राजस्व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्त कराने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र में अन्त में निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puriadia
Date: 2023.09.14 17:09:52 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की वर्तमान आ. नं. 122 के नवीन राजस्व नक्शा ट्रेस में पश्चिमी मेड व उत्तरी मेड पर रास्ते के बाबत निशान चिन्हित किये गये है, उन्हें दुरूस्त किया जाकर हटाया जावे व पूर्व सेटलमेन्ट अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस में इन्द्राज करने की कृपा करावें।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का हिस्सा पूर्ववत दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया गया। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नक्शा राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

4. मैंने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन एवं मौका स्थित अनुसार पाया गया कि प्रार्थीगण की वर्तमान मूल आ.नं. 122 रकबा 1.02 हैक्टेयर (जिसके विभाजन के टुकडे होकर आ.नं. 122 रकबा 0.78 है., आ.नं. 3327/122 रकबा 0.10 है. एवं आ.नं. 3328/122 रकबा 0.14 हैक्टेयर बने) के उत्तरी पश्चिमी कोने पर आ.नं. 121 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गे.मु. चट्टान बिलानाम सरकार दर्ज रिकार्ड हैं जो वर्तमान मे रास्ते के रूप में प्रयोग में ली जा रही है। इसके अतिरिक्त जो आ.नं. 121 का दक्षिण पश्चिम में शेष डोटेड भाग है वो उक्त आराजी के मूल रकबे 0.01 हैक्टेयर से अधिक प्रतीत होकर आ. नं. 122 का ही हिस्सा/भाग प्रतीत होता है जिसे सहवन से आ.नं. 121 मे सम्मिलित कर दिया गया है किन्तु आ.नं 121 के उत्तरी पश्चिमी कोने के रकबे 0.01 हैक्टेयर के अतिरिक्त शेष दक्षिणी-पश्चिमी दिशा एवं उत्तरी पूर्वी दिशा का अतिरिक्त भाग जो कि आ.नं. 122 का हिस्सा ही प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर नक्शे में पूर्वानुसार स्थिति अनुसार तरमीम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. इसके साथ ही प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट का प्रासंगिक विवरण निम्न प्रकार हैः-

> *प्रार्थना-पत्र में आवेदित तथ्यों/शुद्धि के संबंध में मौका जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की आ.नं. 122 में से आने वाला रास्ता आ.नं. 104 व 103 के कटान से दक्षिण में आ. नं. 103 में गुजर रहा है। अतः मूल आ.नं. 122 रकबा 1.02 है. (विभाजन से टुकडे हो चुके हैं) के उत्तरी पश्चिमी कोने पर 0.01 है. का रास्ता आ.नं. 121 रकबा 0.01 है. गे.मु. चट्टान बिलानाम सरकार दर्ज नक्शे में किया जाना उचित है एवं प्रार्थी की आ.नं. 122 मे से 0.0150 है. किस्म गे.मु. रास्ता इन्द्राज किया जाना एवं शेष इन्द्राज बदस्तुर दर्ज किया जाना उचित होगा।*

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:09:52 IST
Reason: SelfAttested

6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-

> ***136. Correction of errors.*** *- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no*

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.

7. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 पूर्व रिकॉर्ड से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम मांगरोल की आ.नं. 121 रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि किस्म चट्टान की तरमीम आ.नं. 122 के उत्तरी–पश्चिमी कोने पर पूर्ण करके आ.नं. 121 के शेष दक्षिण–पश्चिम एवं उत्तरी पूर्व में स्थित अधिक रकबे को आ.नं. 122, 3327/122 एवं 3328/122 में सम्मिलित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार,निम्बाहेड़ा आदेशानुसार नक्शे में तरमीम कर शुद्ध करें। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार, निम्बाहेडा की रिपोर्ट में अंकित किया गया हैं कि उक्त 0.01 हैक्टेयर गे.मु. चट्टान के दक्षिण दिशा में 0.0150 हैक्टेयर भूमि जो सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग में ली जा रही है उसे प्रार्थी अवरूद्ध नहीं करेगा और सार्वजनिक आवागमन हेतु रास्ते को चालु रखेगा। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा प्रार्थी को इस हेतु पाबन्द करावें।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 21.07.2023 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

21/7/23

(रमेश सीरवी पुनाडियॉ आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:09:52 IST
Reason: SelfAttested